

न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर

पीठारिीन अधिकारी- सुधरानी गीना, आर0ए0एस0

गुकतगा नम्बर
09/2026

तारीख रजु
06.06.2026

तारीख निर्णय
12/2/26

बाबूलाल तत्तक पुत्र कंचन, गीना निवारी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर

—प्रार्थी

बनाम

1. बाजरंगलाल पुत्र गूला, गीना निवारी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
2. भरतलाल पुत्र गोती, गीना निवारी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
3. छुट्टन पुत्र गूडया, गीना निवारी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
4. गुंशी पुत्र रामकिशन, गीना निवारी उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर
5. लैण्ड होल्डर जरिए तहरीलदार तहरील वजीरपुर

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट

उपरिथत :- श्री राजय कुमार शर्मा, एडवोकट, प्रार्थीगण की ओर से
निर्णय

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी की खातेदारी की भूमि ख0न0 2524 रकबा 0.18 है0, ख0न0 2525 रकबा 0.87 है0, ख0न0 2526 रकबा 0.46 है0, ख0न0 2567 रकबा 0.94 है0, ख0न0 2568 रकबा 0.69 है0 ग्राम उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर में स्थित है। उक्त भूमि पर काबिज रहकर प्रार्थी अपने परिवार का पालन करता चला आ रहा है। इस भूमि से अन्य किसी दीगर व्यक्ति का कोई सम्बन्ध नहीं है। प्रार्थी की भूमि आस पास एवं चारों दिशाओं की ओर अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि स्थित है। प्रार्थी की भूमि के आस पास एवं चारों दिशाओं में अप्रार्थीगण की भूमि होने के कारण अप्रार्थीगण एवं प्रार्थी के मध्य सीमाचिन्हों एवं भूमि की डौल मेड को लेकर आये दिन विवाद होता रहता है। दिनांक 20.7.2023 को अप्रार्थीगण ने पटवारी हल्का द्वारा बताये गये सीमाचिन्हों को मानने से इकार कर देने से यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0न0 2524 रकबा 0.18 है0, ख0न0 2525 रकबा 0.87 है0, ख0न0 2526 रकबा 0.46 है0, ख0न0 2567 रकबा 0.94 है0, ख0न0 2568 रकबा 0.69 है0 ग्राम उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर के चारों ओर नाप कर पत्थरगठी करवाये जाने के आदेश फरमाये जावे।



(2)

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने फोटोकॉपी नकल जमाबंदी संवत 2076-79 खाता संख्या 309 ग्राम उदेईखुर्द, फोटोकॉपी नकल नक्शा ट्रेस, नकल सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.7.23 प्रस्तुत किये हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया

प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 20.07.2023 से स्पष्ट है कि प्रार्थी को उसकी भूमि ख0न0 2524, 2525, 2526, 2567, 2568 ग्राम उदेईखुर्द का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थी का पड़ोसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 2524 रकबा 0.18 है0, ख0न0 2525 रकबा 0.87 है0, ख0न0 2526 रकबा 0.46 है0, ख0न0 2567 रकबा 0.94 है0, ख0न0 2568 रकबा 0.69 है0 ग्राम उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर की पत्थरगढी कराने के अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि वह मौके पर स्वयं जाकर पड़ोसी खातेदारों की उपस्थिति में प्रार्थी को उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 2524 रकबा 0.18 है0, ख0न0 2525 रकबा 0.87 है0, ख0न0 2526 रकबा 0.46 है0, ख0न0 2567 रकबा 0.94 है0, ख0न0 2568 रकबा 0.69 है0 ग्राम उदेईखुर्द तह0 वजीरपुर पर पत्थरगढी करावें।

निर्णय की पालना हेतु निर्णय की सत्य-प्रतिलिपि तहसीलदार वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फ़ैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ़तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(सुधारानी मीना)
उप जिला कलेक्टर
वजीरपुर